तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कमला बनाम राजबाला आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मुकदमा नम्बर –99/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-07-2021	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से केविएट प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ हैं। अतः केविएटकर्ता की ओर से श्री नेतराम सियाग उपस्थित । प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुवे निवेदन किया गया कि मौजारोही उत्तमदेसर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 179 तादादी 7 बीघा एवं खसरा नम्बर 298/183 में 13 बीघा 4 बिस्वा कुल तादादी 20 बीघा 4 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 12.07.2011 को श्रीमती विधा देवी धर्मपत्नि बेरिसालसिंह से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। रजिस्टर्ड विकय पत्र उपपंजीयक कार्यालय लूनकरनसर में पंजीकृत किया गया। वादगत भूमि की प्रार्थीनीं एक मात्र खातेदारी अधिकार प्राप्त काबिज काश्तकार है । प्रार्थीनी की खरीदशुदा खातेदारी कृषि भूमि के आसे पासे निम्न प्रकार हैः– खसरा नम्बर 179 तादादी 7 बीघा मौजा रोही उत्तमदेसर के उत्तर में खसरा नम्बर 182, दक्षिण में रास्ता, पूर्व में सरहद मौजा खारी एवं पश्चिम में खसरा नम्बर 298/183 इसी तरह खसरा नम्बर 298/183 तादादी 13 बीघा 4 बिस्वा के उत्तर में 298/183, दक्षिण में खसरा नम्बर 279/183, पूर्व में सरहद मौजा रोही खारी एवं पश्चिम में अन्य कृषि भूमि हैं। खरीद करने के पश्चात् इन्तकाल नम्बर 559 दिनांक 20.09.2011 को प्रार्थीनी के नाम से स्वीकृत किया गया हैं। इसी दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मौजा रोही उत्तमदेसर का भू प्रबन्ध किया गया जिसमें प्रार्थीनी की वादगत भूमि खसरा नम्बर 179 तादादी 7 बीघा के नये खसरा नम्बर 140 तादादी 1.77 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 298/183 तादादी 13 बीघा 4 बिस्वा के नयें खसरा नम्बर 189/142 तादादी 3.34 हैक्टेयर बनाये गये तथा राजस्व नक्शे में प्रार्थीनी द्वारा खरीद किये गये विकय पत्र के अनुसार एवं कब्जे के अनुसार तरमीम कर जमा दी गई तथा राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 12 में प्रार्थीनी का नाम दर्ज कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 203/188 तादादी 5.06 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 202/188 तादादी 2.53 हैक्टेयर प्रार्थीनी की खरीदशुदा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 140 के दक्षिण दिशा में निकल रही सड़क जो ग्राम धीरेरा स्टेशन से खारी गांव की ओर जाती है के दक्षिण दिशा में तथा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 189/142 के उत्तर दिशा में हैं। यानि खसरा नम्बर 140 व सड़क तथा खसरा नम्बर 189/142 के मध्य अप्रार्थीगण की भूमि स्थित हैं। जो राजस्व नक्शे से स्पष्ट प्रदर्शित हो रही हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 ने खसरा नम्बर 203/188 तादादी 5.06 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि खसरा नम्बर 202/188 तादादी 2.53 हैक्टेयर प्रार्थीनी की खरीदशुदा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 140 के दक्षिण दिशा में निकल रही सड़क जो ग्राम धीरेरा स्टेशन से खारी गांव की ओर जाती है के दक्षिण दिशा में तथा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 189/142 के मध्य अप्रार्थीगण की भूमि स्थित हैं। जो राजस्व नक्शे से स्पष्ट प्रदर्शित हो रही हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 203/188 तादादी 5.06 हैक्टेयर भूमि जरियें रजिस्टर्ड विकय पत्र महावीर पुत्र ईमरताराम जाति जाट से दिनांक 06.02.2019 को खरीद की है तथा अप्रार्थी न 2 ने खसरा नम्बर 202/188 तादादी 2.53 हैक्टेयर भूमि जरियें रहिस्टर्ड विकय पत्र महावीर पुत्र ईमरताराम जाति जाट से दिनांक 06.02.2019 को खरीद की हैं। उप खण्ड अधिकारी लूणकरणसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:07:56 IST
Reason: SelfAttested

यानि इससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ने अपनी अपनी भूमियां प्रार्थीनी की भूमि से करीब 8 साल के बाद खरीद की हैं। जो राजस्व नक्शे में स्पष्ट रूप से तरमीमशुदा हैं। भू–प्रबन्ध के पश्चात् प्रार्थीनी की वादगत भूमि चक प्लान में ले ली गई तथा चक 5–6 केएम बनाया गया है तथा वर्तमान में उपनिवेशन में आने के कारण गैरखातेदार के रूप में दर्ज की गई हैं। चकबन्दी में प्रार्थीनी खरीदशुदा खातेदारी कब्जे काश्त की एवं राजस्व नक्शें में तरमीम शुदा भूमि मौके के विपरीत दर्ज की गई हैं। जो दुरूस्ती करने योग्य है तथा प्रार्थीनी अपनी खरीदशुदा कब्जे काश्त की एवं राजस्व नक्शे में तरमीमशुदा भूमि के अनुसार ही वादगत भूमि को अपनी खातेदारी में घोषित करवाने एवं दुरूस्ती करवाकर रिकार्ड आफ राईट जमाबन्दी में संशोधन करवाने की हकदार है । अप्रार्थी संख्या 2 ने जो जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.02.2019 को महावीर पुत्र ईमरताराम से खरीद की थी वह भूमि धीरेरां स्टेशन से गांव खारी की ओर जाने वाली पक्की सड़क के दक्षिण दिशा में खरीद की थी। लेकिन राजस्व अमला अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पक्की सडक के उत्तर में मु.नं. 140/8 के किला नम्बर 16 को दर्ज किया है जो कतई अवैध एवं इलिगल हैं। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 न भी महावीर पुत्र ईमरताराम से जरियें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.02.2019 को खरीद की थी लेकिन खरीद की गई भूमि के विपरीत राजस्व अमला ने प्रार्थीनी के कब्जे काश्त की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी जो कतई अवैध एवं इलिगल हैं। जिसे दुरूस्ती करवा कर प्रार्थीनी के अपने नाम दर्ज करवाने की हकदार हैं। महावीर पुत्र ईमरताराम ने अप्रार्थीगण द्वारा खरीद की भूमि पूर्व में विधा देवी पत्नि बेरिसालसिंह से खरीद की गई थी। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में आसे पासे दर्ज किये गये हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त आसे पासे की ही भूमि अप्रार्थीगण खरीद कर सकते थे लेकिन अप्रार्थीगण ने राजस्व अमला से साजिश कर चकबन्दी में गलत तरीके से भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाया है जो दुरूस्ती योग्य हैं। दिनांक 29.10.2020 को प्रार्थीनी की वादगत भूमि पर आये प्रार्थीनी अपनी मुगफली की फसल की सर सम्भाल कर रही थी। तथा ग्वार की पक्की फसल की कटाई कर रही थी तब अप्रार्थीगण जो की पति पत्नि है तीन चार अन्य व्यक्तियों के साथ वादगत भूमि की सीवं पर आये और प्राथीनी को ऐलानिया धमकी दी कि वह वादगत भूमि को खाली कर दे क्योंकि वादगत भूमि उन्होने अपने नाम दर्ज करवा ली है तथा चक बन्दी में जमवा ली हैं। अप्रार्थीगण अपने साथीयों के साथ मौके से जाने लगे तथा आईन्दा मौका लगने पर वादगत भूमि से जबरन बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी । प्रार्थीनी को जबरन बेदखल कर दिया तो प्रार्थीनी को न पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः वकील प्रार्थीयां द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र में अन्तर्गत धारा 212 आटीएक्ट के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीनी खिलाफ अप्रार्थीगण ताफैसला दावा जारी की जावें कि अप्रार्थीगण प्रार्थीनी के कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि खातेदारी कृषि भूमि मौजारोही उत्तमदेसर तहसील लूनकरनसर के खसरा नम्बर 179 तादादी 7 बीघा एवं खसरा नम्बर 298/183 में 13 बीघा 4 बिस्वा जिसके वर्तमान में चक 5–6 केएम तहसील लूनकरनसर के मु.नं. 140/8 के किला नम्बर 14/0.16, 15/0.19, 16/0.17, मु.नं. 140/16 के किला नम्बर 11/0.18 बीघा, 12/1 बीघा, 19/1 बीघा, 20/0.17 बीघा, 21/0.12बीघा, मु.नं. 101/57 के किला नम्बर 6/1 बीघा, 12ता15 में 4बीघा, मु.नं. 121/9 के किला नम्बर 11/0.18 बीघा, 12/1 बीघा कुल तादादी 19 बीघा 7 बिस्वा से प्रार्थीनी को जबरन बेदखल न करें ना ही कब्जे काश्त में दखलान्दाजी करें ना ही स्वयं प्रवेश करें ना ही किसी अन्य को प्रवेश करावें ना ही किसी भी प्रकार से किसी अन्य को हस्तान्तरण करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:07:56 IST
Reason: SelfAttested

1/4/2021
उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

अप्रार्थीगण वकील द्वारा पेश बिन्दुवार जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया हैं। प्रार्थना पत्र में पैरा संख्या 10 को मनगढत मिथ्या व आधारहीन होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया एवं प्रार्थना पत्र कब्जे के अभाव में एवं विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य बताया हैं तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र मय कोस्ट खारिज करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण वकील द्वारा अपना पक्ष रखते हुए निवेदन किया गया कि चक 5–6 केएम में वादगत भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा हैं जिसका नियमानुसार सीमाज्ञान भी कराया हुआ हैं। क्योंकि वर्तमान में सीमाज्ञान अनुसार कब्जा अप्रार्थीगण के पास हैं । अतः प्रार्थीया के पक्ष में कब्जे अभाव में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। प्रार्थना –पत्र खारीज योग्य हैं। जिसका प्रार्थीयां वकील द्वारा विरोध किया गया एवं कहां गया वादगत भूमि पर वर्तमान कब्जा प्रार्थीयां का है उक्त कब्जा के सम्बन्ध में छाया प्रतियां पेश की गई जिसमें चालान 01 दिनांक 20.12.2020 अन्तर्गत धारा 447,34 सीपीसी के तहत कार्यवाही की गई है । अप्रार्थीगण वकील द्वारा प्रकरण में अप्रार्थीगण के समर्थन में नजीरे पेश की गई राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी/टीए/155/99जिला जयपुर गोपी बनाम श्योकरण एकल पीठ (मु जयपुर) श्री अशोक जैन सदस्य RTA 1955- Section 212 निर्णय दिनांक 26.05.2000, Rivision No.188/95/TA/Jaipur Mst. Badam versus Chhitarman S.B. (Camp Jaipur) Shri G.P.Sharma, Member RTA 1955- Section 212 , 2016-17 (Supp.) RRT 637 decided on 6-02-2017 Malkiyat Kaur & Anr. vs. Malkiya Kaur & Ors. Revision TA No. 143/Sriganganagar of 2007 अप्रार्थीगण के वकील द्वारा आवासीय ढ़ाणी की फोटो प्रति पेश की गई । वकील अप्रार्थी ने कहा कि प्रार्थीनी ने केवल मात्र कागजी कब्जा प्राप्त किया है वास्तविक कब्जा कभी भी नहीं रहा है । अतः अप्रार्थीगण वकील द्वारा कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र खारीज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभय पक्ष को ध्यान पूर्वक सुना एवं प्रस्तुत नजीरे एवं दस्तावेजों का भलीभांती अवलोकन एवं मनन किया । प्रस्तुत दस्तावेजो में छाया प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2066–69, छाया प्रति गिरदावरी, छायाप्रति राजस्व नक्शा, छायाप्रति जमाबन्दी सम्वत् 2074–77, प्रमाणित प्रति मय नक्शा सम्वत् 2076–79 चक 5–6 केएम नजरी नक्शा, छायाप्रति विक्रय पत्र कमला देवी दिनांक 12.07.2011 आदि पत्रावली शामिल हैं। वादगत भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में भी न्यायालय हाजा द्वारा वादगत भूमि के सम्बन्ध में एकतरफा बहस सुन कर पूर्व में मुकदमा नम्बर 95/2020 एवं 94/2020 द्वारा दिनांक 04.11.2020 को मौजा रोही 5 व 6 केएम के मु.नं. 140/8 में किला नम्बर 13,14,17,18,23,24,25 तादादी 6.10 बीघा एवं मु.नं. 121/1 में किला नम्बर 2ता10, 13ता15 में कुल 12 बीघा एवं मु.नं. 101/57 में किला नम्बर 6 में 1 बीघा कमाण्ड कुल तादादी 19 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि तथा मुकदमा नम्बर 94/2020 में मौजा राही चक 5–6 केएम के मु[illegible]16 के किला नम्बर 20ता22 में 2.05 बीघा, मु.नं. [illegible] में किला नम्बर 16 में 17 बिस्वा, मु.नं. 121/9 में [illegible] 1,2,9,10ता12 में 5 बीघा 12 बि[illegible] [illegible]दादी 8.14 बीघा कमाण्ड भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेध[illegible] जारी की गई हैं।

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:07:56 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र में चक 5–6 केएम तहसील लूनकरनसर के मु.नं. 140/8 के किला नम्बर 14/0.16, 15/0.19, 16/0.17, मु. नं. 140/16 के किला नम्बर 11/0.18 बीघा, 12/1 बीघा, 19/1 बीघा, 20/0.17 बीघा, 21/0.12बीघा, मु.नं. 101/57 के किला नम्बर 6/1 बीघा, 12ता15 में 4बीघा, मु.नं. 121/9 के किला नम्बर 11/0. 18 बीघा, 12/1 बीघा कुल तादादी 19 बीघा 7 बिस्वा भूमि में मु.न 140/8 के किला नम्बर 14 तादादी 0.16 बीघा, व किला नम्बर 16 में 17 बिस्वा मु.न 140/16 के किला नम्बर 20 में 17 बिस्वा एवं 21 में 12 बिस्वा तथा मु.नं. 101/57 के किला नम्बर 6 तादादी 1 बीघा एवं 121/1 में किला नम्बर 10,13,14,15 में 4 बीघा तथा मु.नं. 121/9 में किला नम्बर 11 में 18 बिस्वा,12 में 1 बीघा में पूर्व में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश जारी हुवे हैं । दस्तावेजो के अवलोकन एवं बहस से स्पष्ट हैं कि प्रार्थीनी द्वारा उक्त वादगत भूमि वर्ष 2011 में कयशुदा है एवं कब्जाकाश्त हैं उक्त सम्बन्ध में पेश रजिस्ट्री प्रतियों में स्पष्टतः भूमि की स्थिति के सम्बन्ध में आसा–पासा बताये गए है जो भूमि की स्थिति स्पष्ट करते हैं एवं पुराने नक्शे में भूमि की जो स्थिति थी उक्त भूमि का आकार चक बन्दी में भिन्न भौतिक स्थिति में जमाया गया हैं जिससे भूमि की भौतिक स्थिति में परिवर्तन स्पष्ट दिखता है जिससे प्रतीत होता है कि चक बन्दी में भारी भूल की गई हैं। उक्त सम्बन्ध में अप्रार्थीगण वकील द्वारा कोई स्पष्टिकरण पेश नहीं किया गया हैं। प्रार्थीनी द्वारा उक्त वादगत भूमि स्पष्ट आसा–पासा को स्पष्ट करते हुऐ वर्ष 2011 में कय की गई हैं जबकि अप्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2019 में कय भूमि में भूमि की भौतिक स्थिति स्पष्ट नहीं करने के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा कोई ठोस कारण नहीं बताया गया हैं। अतः राजस्व प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रोही चक 5–6 केएम तहसील लूनकरनसर के मु.नं. 140/8 के किला नम्बर 14/0.16, 15/0.19, 16/0.17, मु.नं. 140/16 के किला नम्बर 11/0.18 बीघा, 12/1 बीघा, 19/1 बीघा, 20/0.17 बीघा, 21/0.12बीघा, मु.नं. 101/57 के किला नम्बर 6/1 बीघा, 12ता15 में 4बीघा, मु.नं. 121/9 के किला नम्बर 11/0.18 बीघा, 12/1 बीघा कुल तादादी 19 बीघा 7 बिस्वा भूमि में वाद के निर्णय तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश दिए जाते हैं। अप्रार्थीगण वाद के निर्णय तक वादगत भूमि से प्रार्थीनी को जबरन बेदखल ना करें ना ही कब्जे काश्त में दखलान्दाजी करें ना ही स्वयं प्रवेश करे, ना ही किसी अन्य को प्रवेश करावें, ना ही किसी भी प्रकार से किसी अन्य को हस्तान्तरण करें । क्योंकि वादगत भूमि के सम्बन्ध में एकतरफा बहस सुन कर पूर्व में राजस्व प्रार्थना पत्र 95/2020 एवं 94/2020 द्वारा दिनांक 04.11.2020 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किये गए थे अतः मु.न 140/8 के किला नम्बर 14 तादादी 0.16 बीघा, व किला नम्बर 16 में 17 बिस्वा मु.न 140/16 के किला नम्बर 20 में 17 बिस्वा एवं 21 में 12 बिस्वा तथा मु.नं. 101/57 के किला नम्बर 6 तादादी 1 बीघा एवं 121/1 में किला नम्बर 10,13,14,15 में 4 बीघा तथा मु.नं. 121/9 में किला नम्बर 11 में 18 बिस्वा,12 में 1 बीघा में दिनांक 04.11.2020 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश में चक 5–6 केएम के मु.न 140/8 के किला नम्बर 14 तादादी 0.16 बीघा, व किला नम्बर 16 में 17 बिस्वा मु.न 140/16 के किला नम्बर 20 में 17 बिस्वा एवं 21 में 12 बिस्वा तथा मु.नं. 101/57 के किला नम्बर 6 तादादी 1 बीघा एवं 121/1 में किला नम्बर 10,13,14,15 में 4 बीघा तथा मु.नं. 121/9 में किला नम्बर 11 में 18 बिस्वा,12 में 1 बीघा की हद तक पूर्व में जारी आदेश अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार की जाती है उक्तानुसार राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 94/2020 व 95/2020 में अंकन हो। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार लूनकरनसर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित हों। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 11:07:56 IST
Reason: SelfAttested